

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डा० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पद के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त/कार्यरत प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) की प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा लेने हेतु विज्ञापन प्रकाशन कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) एवं माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 11.08.2025 से 30.08.2025 तक निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशन की सामग्री (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:-अ०सं०क०-08-ग-आ०वि० (स्था०)-45/2023...../ 4236/

पटना, दिनांक..... 08.08.2025

प्रतिलिपि :-विभागीय नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन प्रारूप (प्रति संलग्न) एवं विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल तैयार करने संबंधी आवेदन पत्र प्रारूप (प्रति संलग्न) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना एवं पोर्टल तैयार करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पद के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त/कार्यरत प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) की प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार, पटना से सेवा लेने हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि-11.08.2025 एवं अंतिम तिथि-30.08.2025

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु शैक्षणिक पदों की कुल 416 स्वीकृत है। वर्तमान में 02 जिलों यथा किशनगंज एवं दरभंगा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जा रही है।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के स्वीकृत पद के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज एवं दरभंगा में निम्नांकित कुल 29 रिक्त पदों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या x जिला)
1	प्रधानाध्यापक		1 (किशनगंज)
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	2 (किशनगंज)
3		हिन्दी	1 (दरभंगा), 2(किशनगंज)
4		भौतिक शास्त्र	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
5		रसायन शास्त्र	1 (किशनगंज)
6		जीव विज्ञान	1 (दरभंगा)
7		कम्प्यूटर	1 (किशनगंज)
8		इतिहास	1 (किशनगंज)
9		भूगोल	1 (दरभंगा)
10		समाज शास्त्र	1 (किशनगंज)
11		राजनीति शास्त्र	1 (दरभंगा)
12		गृह विज्ञान	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
13		मनोविज्ञान	1 (किशनगंज)
14	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	1 (किशनगंज)
15		हिन्दी	1 (दरभंगा)
16		फारसी	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
17		समाज शास्त्र	1 (किशनगंज)
18		शारीरिक शिक्षा	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
19		संगीत / कला	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
20		कम्प्यूटर	1 (दरभंगा), 1(किशनगंज)
कुल			29

3. शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त/कार्यरत प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक (10+2) (प्रशिक्षित) तथा माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. प्राप्त आवेदनों को Short List एवं स्क्रीटनी कर रिक्ति के विरुद्ध लगभग दो गुना आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा हेतु तैयार की जाएगी। स्क्रीटनी के क्रम में शिक्षकों के चयन हेतु निम्न बिंदुओं पर वरीयता दी जाएगी।
 - i. शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता।
 - ii. शिक्षकों का अनुभव (विद्यालय में पढ़ाने का)।
 - iii. संबंधित विषय में विशिष्टता।
5. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशंसित आवेदकों की सूची शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अध्याचना के रूप में भेजी जाएगी।
6. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त आवेदकों की सूची से प्राथमिकता के अनुसार चयन कर रिक्ति के विरुद्ध शिक्षकों की सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। यदि प्रेषित सूची में से कोई शिक्षक किसी कारणवश योगदान नहीं देते हैं तो उसी सूची में से प्राथमिकता में निम्नतर शिक्षक की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों के लिए होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति से तीन वर्षों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को लौटा दी जाएगी।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतन-भत्ते एवं सेवा शर्तों के अधीन अन्य स्वीकृत लाभ का भुगतान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।
9. शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई गई शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग के अधिसूचनाओं यथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक(नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 (अधिसूचना सं०-11/नि०-01-02/2023-743 दिनांक-10.04.2023) (समय-समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित होगी। प्रधानाध्यापकों की सेवा शिक्षा विभाग के अधिसूचना यथा "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021" (अधिसूचना सं०-11/नियमा-01-02/2020-1338 दिनांक-18.08.2021) (समय-समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित होगी।
10. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।


विशेष सचिव-सह-निदेशक 8/8-

आवेदन-प्रपत्र

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पद के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियुक्त/कार्यरत प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) की प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार, पटना से सेवा लेने हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदित पद का नाम:- (1) प्रधानाध्यापक (2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)
(3) माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)
2. विषय (क्रम संख्या) :-
3. आवेदक/आवेदिका का नाम:-
4. पिता/पति का नाम:-
5. जन्म तिथि:-
6. नियुक्ति की तिथि:-
7. आधार कार्ड संख्या:
8. पैन कार्ड नं०:-
9. शिक्षक ID (e-Shikshakosh) -
10. वर्तमान विद्यालय का UDISE code -
11. लिंग:- पुरुष महिला थर्ड जेंडर
12. दिव्यांग:- हाँ नहीं
- यदि हाँ, तो दिव्यांगता प्रकार को चुनें VI DD OH MD
13. क्या आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हैं - हाँ नहीं
- यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
14. आरक्षण कोटि:- अनारक्षित अनु० जाति अनु० जनजाति
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग की महिला ई०डब्ल्यूएस०
15. स्थायी पता:- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....
पोस्ट:-....., थाना:-.....
....., जिला:-....., पिन कोड:-.....
16. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....
पोस्ट:-....., थाना:-.....
....., जिला:-....., पिन कोड:-....., मो० नं०:-.....
17. शैक्षणिक योग्यता:- स्नातक स्नातकोत्तर पी०एच०डी० (अगर हो तो)
18. अनुभव :-
19. प्रशिक्षण की स्थिति:- प्रशिक्षित अप्रशिक्षित
20. विद्यालय का नाम, पूरा पता जहाँ कार्यरत है तथा किस विषय के शिक्षक रहें हैं, विषय का नाम:-
..... विद्यालय का नाम.....
विद्यालय का पता:-.....
21. GPF/PRAN No.

पासपोर्ट
साइज का स्व
अभिप्रमाणित
फोटो

उद्घोषणा

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकार कानूनी कार्यवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
दिनांक:-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर